

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।  
आदेशांक—वा०क०अधि०/दस-४(घ)/२१९४/२०२३, दिनांक २३ जून २०२३

—::आदेश::—

स्थानान्तरण विषयक गठित समिति द्वारा दी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त वाणिज्य कर अधिकरण अधिकारी के अन्तर्गत पीठों में कार्यरत कर्मचारियों से प्राप्त स्वयं के अनुरोध पर एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों पर राजकीय कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु कार्यात्मक आवश्यकता अनुरूप जनहित में निम्नलिखित स्थानान्तरण अंकित स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र० स०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता	प्रस्तावित सम्बद्धता/पटल परिवर्तन	अभ्युक्ति
1	श्री छोटेलाल, कार्यालय सेवक	पीठ—मुरादाबाद	पीठ—बरेली	स्वयं के अनुरोध पर
2	श्री कौशल किशोर मिश्रा, कार्यालय सेवक	पीठ—बरेली, सम्बद्ध पीठ—मुरादाबाद	पीठ—मुरादाबाद	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में प्रशासनिक आधार पर की गयी सम्बद्धता समाप्त करते हुए स्थानान्तरण
3	श्री सिद्धान्त तिवारी, कार्यालय सेवक	पीठ—२ कानपुर, सम्बद्ध पीठ—५ वाराणसी	पीठ—५ वाराणसी	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में प्रशासनिक आधार पर की गयी सम्बद्धता समाप्त करते हुए स्थानान्तरण

क्रम संख्या—०१, पर अंकित कर्मचारी का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किये जाने के कारण उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। क्रम संख्या—०२ व ०३ पर अंकित कर्मचारियों की सम्बद्धता के उपरान्त यदि यात्रा भत्ता दिया गया है तो पुनः स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

समस्त सम्बन्धित सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार से मुक्त करते हुए अनुपालन आख्या ई—मेल / फैक्स के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित किया जाए।

ह/ २३.०६.२०२३

(रणधीर सिंह)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ


पृष्ठाकान संख्या व दिनांक उक्त।

- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—मुरादाबाद, पीठ—५ वाराणसी, पीठ—बरेली, पीठ—२ कानपुर,
- आहरण वितरण अधिकारी पीठ—मुरादाबाद, पीठ—१ वाराणसी, पीठ—बरेली, पीठ—१ कानपुर
- निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी पीठ—मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, कानपुर
- वरिष्ठ सहायक (लेखा) पीठ—मुरादाबाद, पीठ—१ वाराणसी, पीठ—बरेली, पीठ—१ कानपुर
- सम्बन्धित व्यक्ति एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

ह/ २३.०६.२०२३

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ

  
 आज्ञा से  
 (तरुण कुमार)

निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश लखनऊ।